भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/42/2015 दिनांक : 9 जून, 2015

प्रेस नोट

विषय : **झारखण्ड से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।**

झारखण्ड से राज्य सभा में एक आकस्मिक रिक्ति है। विवरण निम्नलिखित अनुसार दिया गया है:-

क्रम सं.	**सदस्य का नाम**	**सेवानिवृत्ति की तारीख**	**अभ्युक्ति**
1	**डॉ. कंवर दीप सिंह**	**7 जुलाई, 2016**	**19 फरवरी, 2014 को त्याग पत्र दिया**

झारखण्ड राज्य से राज्य सभा के लिए उपर्युक्त उल्लिखित आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष वर्ष 2010 की निर्वाचन याचिका सं.12 (श्री वैद्यनाथ राम बनाम श्री कंवर दीप सिंह एवं अन्य) के लंबित होने के कारण आयोजित नहीं करवाए जा सके थे।

अब, उच्च न्यायालय ने दिनांक 30 अप्रैल, 2015 के अपने आदेश द्वारा उक्त याचिका रद्द कर दी है।

आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उक्त रिक्ति को भरने के लिए झारखण्ड राज्य से राज्य सभा के उप-निर्वाचन करवाने का निर्णय लिया है:-

क्रम सं.	**कार्यक्रम**	**तारीख एवं दिन**
1.	अधिसूचना जारी करना	15 जून, 2015 (सोमवार)
2.	नामांकन भरने की अंतिम तारीख	22 जून, 2015 (सोमवार)
3.	नामांकनों की संवीक्षा	23 जून, 2015 (मंगलवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	25 जून, 2015 (गुरूवार)
5.	मतदान की तारीख	2 जुलाई, 2015 (गुरूवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वाहन 9.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक
7.	मतगणना	2 जुलाई, 2015 (गुरूवार) को अप. 5.00 बजे
8.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	4 जुलाई, 2015 (शनिवार)

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक